



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 37()पंरावि/प्रशा.2/मंत्रा/स्थाना.-प्रथम/2018/3059 जयपुर दिनांक: 31-8-2018

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, दौसा।

विषय :- सहायक प्रशासनिक अधिकारी के स्थानान्तरण/पदस्थापन बाबत।


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि आपके जिले की अधीनस्थ जिला परिषद/पंचायत समिति में कार्यरत निम्न सहायक प्रशासनिक अधिकारी की संस्थापन संबंधी सूचनाओं से मिलान करते हुये स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी कर, पालना से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. सं.	नाम कार्मिक	कहां से	कहां को
1	रतन साहू	प0स0 लालसोट से प0स0 बांदीकुई, दौसा स्थानान्तरणधीन	निरस्त कर प0स0 लालसोट, दौसा

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

नोट:-

1. उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन कार्मिक के सही नाम से किया जावें।
2. यदि कार्मिक माननीय न्यायालय/वादकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है तो, ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावें।
3. यदि किसी कार्मिक की परीवीक्षाकाल की अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावें।
4. यदि किसी कार्मिक के स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा रहा है तो प्रभावित कार्मिक का भी पदस्थापन इसी आदेश में अन्य रिक्त पद पर किया जाना सुनिश्चित करावें।


(दिनेश कुमार जांगिड.)
संयुक्त सचिव
एवं संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा0वि0पं0राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
3. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित है।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लालसोट/बांदीकुई।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त सचिव
एवं संयुक्त आयुक्त